आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
10.10.2017	*आदेश* प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0 03/2016–17 जंगबहादुर सिंह अध्यक्ष, कासीमपुर पैक्स पिता- श्री खड़गधारी सिंह, ग्राम–कासीमपुर, थाना+जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 406 दिनांक 25.07.2015 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। दाखिल अपील में उल्लेख किया गया है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा उनके जन वितरण प्रणाली दूकान के निरीक्षण के क्रम में पाई गई अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 383/अनु0आ0, दिनांक 03.07.015 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी और सात दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 406 दिनांक 25.07.15 से उनकी अनुज्ञप्ति संख्या–13के0/2012 को रद्द कर दिया गया। उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 13841/2015 में 20.12.2016 को पारित आदेश के आलोक में अपील दायर किया। उनका कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पी0डी0एस0 कंट्रोल आदेश 2001 का उल्लंघन किया गया है। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, जो उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने अपील को स्वीकार कर अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए आवंटन चालू करने का निदेश देने का अनुरोध किया है। अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 02.07.2015 को श्री जंगबहादुर सिंह, पैक्स अध्यक्ष जन वितरण प्रणाली बिक्रेता कासीमपुर पंचायत के दुकान का निरीक्षण किया गया तथा पत्रांक 142/प्र0आपूर्ति, दिनांक 02.07.15 से प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को भेजा गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि उपभोक्ता द्वारा ब्यान दिया गया कि माह मई, 2015 एवं जून 2015 में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न नही दी गयी तथा राशन कार्ड में बिना खाद्यान्न दिए माह मई, 2015 का खाद्यान्न अंकित किया गया। निरीक्षण के समय भंडार प्रदर्शन एवं मूल्य प्रदर्शन सूचना पट्ट पर अंकित नहीं था। निरीक्षण के समय जन वितरण प्रणाली बिक्रेता अनुपस्थित पाए गए। भौतिक सत्यापन के क्रम में मात्र 150 किलोग्राम चावल एवं 150 किलोग्राम गेहूँ उपलब्ध था। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 383/अनु0आ0, दिनांक 03.07.2015 के द्वारा श्री जंगबहादुर सिंह जन वितरण प्रणाली बिक्रेता कासीमपुर–सह–पैक्स अध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।	

स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाया गया। कासीमपुर के ग्रामीणों द्वारा दिनांक 09.07.15 को जिला पदाधिकारी के जनता दरबार एवं अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को आवेदन दिया गया, जिसमें माह मई, 2015 एवं जून, 2015 के राशन एवं किरासन तेल उपभोक्ताओं को नहीं देने का आरोप लगाया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिए गए जॉच प्रतिवेदन तथा पी0डी0एस0 कन्ट्रोल ऑडर, 2001 की धारा–7(i) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पी0यू0सी0एल0–196/2001 में पारित आदेश के अनुपालन में श्री जंग बहादुर सिंह पैक्स जन वितरण प्रणाली बिक्रेता पंचायत कासीमपुर, प्रखंड -खगड़िया की अनुज्ञप्ति संख्या–13के0/2012 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि बिक्रेता द्वारा समर्पित कारण पृच्छा पर बिना जॉच कराये अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के अनुज्ञप्ति रद्द संबंधी आदेश को निरस्त किया जाय एवं आवंटन चालू किया जाय।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा जन वितरण प्रणाली दूकान के निरीक्षण में पाई गई अनियमितता के आलोक में उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सही एवं सम्यक है।

अपीलार्थी द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के निरीक्षण में पाई गई अनियमिता एवं अपने कथन के समर्थन में कोई भी साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या संख्या–13841/2015 में 20.2.2016 को पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्त्ता को सक्षम प्राधिकार के यहाँ अपील दायर करने का निदेश दिया गया है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 406/अनु0आपर्ति, दिनांक 25.07.15 द्वारा बिक्रेता के अनुज्ञप्ति रद्द सम्बन्धी पारित आदेश को यथावत रखा जाता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया

समाहर्त्ता,
खगड़िया